फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 02.05.2024

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0- 126/2024 धारा 307/504/427/34 भादवि से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप सिंह** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0- 126/2024 धारा 307/504/427/34 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र सूबेदार निवासी रम्पुरा राजा नगला कोतवाली फतेहगढ़ को मुखविर की सूचना पर कास्तकार कोल्ड के पास से गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रामप्रकाश पुत्र सूबेदार निवासी रम्पुरा राजा नगला कोतवाली फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा यशवन्त उर्फ सोनू के साथ गाली गलौज करना मना करने पर जान से मारने की नियत से फावड़े से वार करना जिससे यशवन्त उर्फ सोनू के माथे पर गंभीर चोटे आना तथा मजरूब यशवन्त उर्फ सोनू की मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त कर दी थी । मजरूब के भाई श्री राजीव कुमार पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम रम्पुरा कोतवाली फतेहगढ के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 16.04.2024 को मु0अ0सं0- 126/2024 धारा- 307/504/427 भादवि बनाम रामप्रकाश आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 02.05.2024 को अभियोग में नामजद अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र सूबेदार निवासी रम्पुरा राजा नगला कोतवाली फतेहगढ़ को मुखविर की सूचना पर कास्तकार कोल्ड के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.04.2024 को शाम करीब 09.00 बजे मेरा व मेंरे बेटे शिवराजन व बहू सरिता का मेंरे परिवारिक यशवन्त उर्फ सोनू से विवाद हो गया था जिस पर मैंने व मेंरे बहू ने गुस्से में आकर शिवराजन से कह दिया था कि यशवन्त उर्फ सोनू को जान से मार दो जिस पर शिवराजन ने पास में रखे फाड़वे से यशवन्त उर्फ सोनू को जान से मारने के उद्देश्य से हमला किया गया । जिससे फावड़ा यशवन्त उर्फ सोनू के सिर में लगा था और यशवन्त उर्फ सोनू वही जमीन पर गिर गया था हम लोगो को लगा कि यशवन्त उर्फ सोनू मर गया तो हम लोग मौके से भाग गये थे ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 फावड़ा (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त राजेश बहादुर सिंह का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 126/2024 धारा 307/504/427/34 भादवि कोतवाली फतेहगढ ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मो0 सरताज
2. का0 विक्रान्त

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फास्ट फूड

GPS Map Camera
Google
Mohammadabad, Uttar Pradesh, India
8C6M+55C, Sankisa Road, Mohammadabad, Uttar Pradesh 209651, India
Lat 27.310569°
Long 79.432737°
02/05/24 07:27 PM GMT +05:30